

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-927

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

ग्रामों के विद्युतीकरण की पुष्टि

927. श्री आर. धुवनारायण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जीवीए प्रतिनिधियों द्वारा पुष्टि करनेवाली यात्रा किए जाने से पूर्व ही जीवीए रिपोर्ट में ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या खाली गांव और वन क्षेत्रों को भी विद्युतीकृत के रूप में गिना गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : किसी गाँव को संबंधित डिस्कॉम/राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर विद्युतीकृत घोषित किया जाता है। गैर आबादी वाले गाँवों तथा वन की गणना विद्युतीकृत में नहीं की जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गाँव को विद्युतीकृत घोषित किया जाता है यदि:

- (i) आधारभूत अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आबादी वाले स्थानों के साथ-साथ दलित बस्ती/वास स्थल, जहाँ वे विद्यमान हैं, में उपलब्ध करा दी गई हो,
- (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि में विद्युत उपलब्ध करा दी जाती है तथा
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% हो।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-936

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों में रिज़र्व शट-डाउन की स्थिति

936. श्री शंकर प्रसाद दत्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र रिज़र्व शट-डाउन की स्थिति से गुजर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत क्षेत्र विगत पाँच वर्षों से रिज़र्व शट-डाउन की स्थिति से गुजर रहा है। तथापि, रिज़र्व शट-डाउन से राष्ट्रीय ग्रिड में विश्वसनीयता तथा आपूर्ति की गुणवत्ता कायम रखने में सहायता मिली है। इसका प्रयोग आकस्मिक जरूरतों के दौरान समय-समय पर मांग को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। विद्युत संयंत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान औसत रिज़र्व शट-डाउन लगभग 9% रहा है।

(ख) : 31 मार्च, 2012 (XI<sup>वीं</sup> योजना के अंत तक) की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र का हिस्सा 27% से बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार लगभग 44.5% हो गया है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-937

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

हाइटेशन तारों के कारण मौतें

937. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री राजीव सातव:

श्री धनंजय महाडीक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में हाइटेशन तारों के संपर्क में आने के कारण राज्य-वार मृत्यु के कितने मामलों का पता चला है और इससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या देश में आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, राजमार्गों और रेलमार्गों के ऊपर से कई हाइटेशन तार-लाइनें गुजरती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवासीय क्षेत्रों से इन हाइटेशन तारों को हटाने और उन्हें भूमिगत तरीके से बिछाने के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय हाई टेंशन (एचटी) लाइनों के कारण हुई दुर्घटनाओं संबंधी आंकड़े नहीं रखता। तथापि, पिछले 5 वर्षों के दौरान विद्युत घटनाओं के कारण हुई मौतों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (ङ) : राज्यों में अंतरराज्य पारेषण तथा वितरण लाइनों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के जरिए वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है। कंजेशन वाले कुछ क्षेत्रों में राज्यों द्वारा एचटी लाइनों पर ओवरहेड बेयर कंडक्टरों को एरियल बंड केबल अथवा भूमिगत केबलों से बदला जा रहा है।

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं.937 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

विद्युत दुर्घटनाएं					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
आंध्र प्रदेश	46	259	139	174	1007
अरुणाचल प्रदेश	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
असम	0	22	49	14	14
बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	86	उपलब्ध नहीं	77
छत्तीसगढ़	37	177	195	152	219
दिल्ली	56	2	10	13	9
गोवा	4	4	8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गुजरात	180	188	197	212	405
हरियाणा	24	46	40	49	146
हिमाचल प्रदेश	10	18	8	18	25
जम्मू एवं कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखंड	53	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	273	286	234	180	242
केरल	104	53	19	76	161
मध्य प्रदेश	104	312	301	289	387
महाराष्ट्र	454	304	283	485	11
मिजोरम	0	4	उपलब्ध नहीं	1	13
मणिपुर	0	4	5	3	5
मेघालय	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5	उपलब्ध नहीं
नागालैंड	0	उपलब्ध नहीं	1	1	उपलब्ध नहीं
ओडिशा	25	66	55	15	54
पंजाब	38	65	2	89	146
राजस्थान	0	336	152	181	508
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	301	295	289	483
तेलंगाना	120	233	249	96	-
त्रिपुरा	0	उपलब्ध नहीं	0	0	11
उत्तर प्रदेश	414	243	39	74	136
उत्तराखंड	12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	83	78	103	17
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पुडुचेरी	0	4	2	4	उपलब्ध नहीं
चंडीगढ़	0	1	0	उपलब्ध नहीं	1
दादर व नगर हवेली	1	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दमन व दीव	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
<b>अन्य</b>					
खान	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
केंद्र सरकार संस्थापना	0	0	5	3	12
रेलवे	11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
<b>सकल योग</b>	<b>1969</b>	<b>3011</b>	<b>2452</b>	<b>2526</b>	<b>4089</b>

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-959

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

भूमिगत केबल

959. श्री देवसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य से नगर निगमों या नगरपालिकाओं में विद्युत वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्क, जिसमें शहरी क्षेत्रों में भूमिगत वितरण नेटवर्क शामिल है, के सुदृढीकरण के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत 'भूमिगत वितरण नेटवर्क' के लिए 2179.20 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.959 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईपीडीएस के अंतर्गत 'भूमिगत वितरण नेटवर्क' परियोजनाओं का ब्यौरा

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	भूमिगत वितरण नेटवर्क (एचटी एवं एलटी)
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-
2	आंध्र प्रदेश	24.50
3	अरुणाचल प्रदेश	-
4	असम	6.50
5	बिहार	137.00
6	छत्तीसगढ़	15.50
7	गोवा	-
8	गुजरात	250.50
9	हरियाणा	85.60
10	हिमाचल प्रदेश	0.10
11	जम्मू एवं कश्मीर	1.30
12	झारखंड	27.30
13	कर्नाटक	157.60
14	केरल	62.50
15	महाराष्ट्र	633.70
16	मणिपुर	-
17	मेघालय	-
18	मिजोरम	-
19	मध्य प्रदेश	16.00
20	नागालैंड	-
21	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-
22	ओडिशा	27.50
23	पुडुचेरी	4.80
24	पंजाब	51.40
25	राजस्थान	70.00
26	सिक्किम	2.80
27	तमिलनाडु	147.20
28	तेलंगाना	43.20
29	त्रिपुरा	23.80
30	उत्तर प्रदेश	236.70
31	उत्तराखंड	1.50
32	पश्चिम बंगाल	152.10
<b>कुल लागत</b>		<b>2179.20</b>

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-965

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

965. श्रीमती अंजू बाला:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति में असंतुलन है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक राज्य विशेषतः ग्रामीण दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्र विद्युत की कमी से जुझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में मांग एवं आपूर्ति का सर्वाधिक 4.1 प्रतिशत अन्तर है जो कि अखिल भारतीय औसत 0.9 प्रतिशत से अधिक है जो दो या तीन छोटे राज्यों को छोड़कर अधिकतम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, सरकार द्वारा उपरोक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार बिजली की कटौती के लिए विद्युत वितरण कंपनियों पर भारी अर्थदण्ड लगाने हेतु विद्युत अधिनियम में संशोधन करने और राज्यों द्वारा सीधे विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी अंतरित करने हेतु प्रावधान बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में "सभी के लिए विद्युत" प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : चालू वर्ष 2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) के दौरान वैद्युत ऊर्जा और व्यस्ततम मांग की दृष्टि से हमारे देश के विभिन्न राज्यों में मांग और आपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ मांग/आपूर्ति अंतर औसत अखिल भारतीय मांग-आपूर्ति अंतर से अधिक है। तथापि, यह अंतर देश में विद्युत की अपर्याप्तता की अपेक्षा सामान्यतः अन्य घटकों के कारण हैं।

(ग) : अप्रैल से जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान 0.9% के अखिल भारतीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में व्यस्ततम मांग-आपूर्ति अंतर 4.1% था। तथापि, नवीनतम विद्युत आपूर्ति स्थिति (अप्रैल से दिसंबर, 2017) के अनुसार 2.0% के अखिल भारतीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में व्यस्ततम मांग-आपूर्ति अंतर 10.9% है।

राज्य के भीतर विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उपयुक्त मात्रा की व्यवस्था करना संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के जरिए केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करने और राज्य में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। देश में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है और राज्य कमी को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न बाजार तंत्रों के जरिए विद्युत खरीद सकते हैं।

(घ) : बिजली की अकारण कटौती के लिए विद्युत वितरण कंपनियों पर भारी दंड लगाने के लिए प्रावधान करने का सुझाव तथा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राज्यों द्वारा सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव के मुद्दे पर विद्युत अधिनियम के लिए संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ङ) : भारत सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल शुरू की है। इस पहल के उद्देश्य वर्तमान उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा ऐसे सभी उपभोक्ता, जिन्हें विद्युत के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, के लिए 2019 तक चरणबद्ध तरीके से विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न चालू योजनाओं अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आदि के तहत स्वीकृत कार्यों के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण, पारेषण और वितरण प्रणालियों का सुदृढीकरण एवं संवर्द्धन तथा डिस्कॉमों का निष्पादन सुधार आदि शामिल हैं।

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.965 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

2017-18 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

राज्य / प्रणाली / क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2017 - दिसंबर, 2017				अप्रैल, 2017 - दिसंबर, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	ऊर्जा आपूर्ति (एमयू)	ऊर्जा आपूर्ति नहीं (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (एमडब्ल्यू)	पूरी की गई व्यस्ततम मांग (एमडब्ल्यू)	पूरी नहीं की गई व्यस्ततम मांग (एमडब्ल्यू)	(%)
चंडीगढ़	1,313	1,304	9	1	363	363	0	0
दिल्ली	25,954	25,937	16	0.1	6,553	6,526	27	0.4
हरियाणा	39,895	39,895	0	0.0	9,671	9,539	132	1.4
हिमाचल प्रदेश	7,058	7,019	39	0.6	1,560	1,560	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	13,807	11,034	2,773	20.1	2,768	2,214	554	20.0
पंजाब	44,732	44,732	0	0.0	11,705	11,705	0	0.0
राजस्थान	52,745	52,312	433	0.8	11,290	11,290	0	0.0
उत्तर प्रदेश	93,168	91,726	1,441	1.5	20,274	18,061	2,213	10.9
उत्तराखंड	10,160	10,134	27	0.3	2,033	2,033	0	0.0
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>2,88,832</b>	<b>2,84,093</b>	<b>4,739</b>	<b>1.6</b>	<b>60,749</b>	<b>58,448</b>	<b>2,301</b>	<b>3.8</b>
छत्तीसगढ़	19,881	19,800	80	0.4	4,169	3,887	282	6.8
गुजरात	82,448	82,437	12	0.0	16,590	16,590	0	0.0
मध्य प्रदेश	52,957	52,957	0	0.0	12,338	12,301	37	0.3
महाराष्ट्र	1,11,952	1,11,723	230	0.2	22,542	22,494	48	0.2
दमन व दीव	1,898	1,898	0	0.0	362	362	0	0.0
दादर नगर हवेली	4,606	4,606	0	0.0	790	790	0	0.0
गोवा	3,079	3,079	0	0.0	559	558	1	0.2
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>2,76,821</b>	<b>2,76,499</b>	<b>322</b>	<b>0.1</b>	<b>49,860</b>	<b>49,788</b>	<b>72</b>	<b>0.1</b>
आंध्र प्रदेश	42,720	42,681	38	0.1	8,364	8,364	0	0.0
तेलंगाना	42,822	42,793	29	0.1	9,522	9,500	22	0.2
कर्नाटक	48,270	48,175	94	0.2	10,093	10,093	0	0.0
केरल	18,501	18,452	50	0.3	3,889	3,862	27	0.7
तमिलनाडु	79,062	79,004	58	0.1	15,001	14,975	26	0.2
पुडुचेरी	2,013	2,009	4	0.2	390	387	3	0.7
लक्षद्वीप#	35	35	0	0	9	9	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>2,33,387</b>	<b>2,33,114</b>	<b>273</b>	<b>0.1</b>	<b>42,770</b>	<b>42,535</b>	<b>235</b>	<b>0.5</b>
बिहार	20,435	20,069	366	1.8	4,521	4,515	6	0.1
डीवीसी	16,108	15,952	156	1.0	2,909	2,909	0	0.0
झारखंड	5,778	5,715	64	1.1	1,260	1,260	0	0.0
ओडिशा	21,728	21,693	35	0.2	4,370	4,370	0	0.0
पश्चिम बंगाल	38,992	38,846	147	0.4	8,137	8,114	23	0.3
सिक्किम	347	347	0	0.1	96	96	0	0.0
अंडमान व निकोबार#	242	218	23	10	58	54	4	7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>1,03,390</b>	<b>1,02,621</b>	<b>768</b>	<b>0.7</b>	<b>20,274</b>	<b>20,208</b>	<b>66</b>	<b>0.3</b>
अरुणाचल प्रदेश	591	581	10	1.7	145	145	0	0.3
असम	7,235	6,936	298	4.1	1,822	1,745	77	4.2
मणिपुर	609	597	12	2.0	194	187	7	3.6
मेघालय	1,127	1,127	0	0.0	369	368	1	0.3
मिजोरम	366	357	9	2.4	104	95	9	8.7
नागालैंड	614	596	17	2.8	155	146	9	5.8
त्रिपुरा	2,151	2,128	23	1.1	342	342	0	0.0
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>12,693</b>	<b>12,323</b>	<b>370</b>	<b>2.9</b>	<b>2,629</b>	<b>2,520</b>	<b>109</b>	<b>4.1</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>9,15,123</b>	<b>9,08,650</b>	<b>6,473</b>	<b>0.7</b>	<b>1,64,066</b>	<b>1,60,752</b>	<b>3,314</b>	<b>2.0</b>

# लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह एकल प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय मांग और उपलब्धता का भाग नहीं है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-982

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना का क्रियान्वयन

982. श्रीमती एम. वसन्ती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अब भी बिना बिजली वाले घरों के संबंध में डाटा जुटाने के लिए भारतीय डाक की मदद ले रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को राज्यों के विद्युतीकृत घरों की स्थिति संबंधी कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने पाँच राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में गैर-विद्युतीकृत घरों के सर्वेक्षण का कार्य डाक विभाग को सौंपा है।

(ख) और (ग) : सौभाग्य के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के कवरेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) राज्यों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। अब तक, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकारों ने ऑनलाइन पोर्टल पर 151 डीपीआर (77 ग्रामीण ग्रिड + 27 ग्रामीण ऑफ ग्रिड + 47 शहरी) प्रस्तुत की हैं। राज्यों ने गैर-विद्युतीकृत घरों संबंधी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्य शुरू किए हैं तथा अग्रिम रूप से जारी की जाने वाली निधियां विचाराधीन हैं।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-986

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

जले हुए ट्रांसफॉर्मर

986. श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के गाँवों में स्थापित किए गए अधिकतर 10 केवीए और 16 केवीए ट्रांसफॉर्मर जल गए हैं और उनके स्थान पर नए ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाए जा रहे हैं जिसके कारण गाँवों में बिजली नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा उक्त जिले के गाँवों में जले हुए ट्रांसफॉर्मरों को बदलने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 10 केवीए तथा 16 केवीए के 784 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) जल गए हैं और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के विभिन्न गाँवों में बदले जाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 10/16 केवीए के जले हुए 379 डीटी को 31 दिसंबर, 2017 तक 25/63 केवीए प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जेबीवीएनएल सूचित किया है कि पश्चिम सिंहभूम में कोई भी गाँव 10/16 केवीए ट्रांसफार्मरों के जलने की वजह से विद्युत के बिना नहीं हैं।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-988

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

ऊर्जा की घटती हुई खपत

988. श्री निहाल चंद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ईंधन और ऊर्जा की खपत घटाने के लिए सरकार द्वारा कौन से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार किसानों से कृषि ठूठ खरीदने का विचार कर रही है ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण रोका जा सके और विद्युत उत्पादन के लिए इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईंधन और ऊर्जा की खपत न्यूनतम करने हेतु सरकार ने राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क): भारत सरकार ने देश में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (ईसी अधिनियम) का अधिनियमन, जो उपस्करों के मानक और लेबलिंग, वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तथा ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों का प्रावधान करता है।
- (ii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा दक्ष उपस्करों एवं उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देकर, ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों के लिए परफॉर्म, एचिव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना के कार्यान्वयन तथा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के बारे में मीडिया के जरिए जागरूकता लाकर मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न उपाय कार्यान्वित कर रहा है।
- (iii) यात्री वाहनों तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन खपत मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

- (iv) पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन (पीसीआरए) ने राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- (v) मोलासेस के अतिरिक्त दूसरे नॉन-फूड फीडस्टॉक से उत्पादित एथनॉल के प्रापण की अनुमति दी गई है और तेल पीएसयू ने 2जी एथनॉल बायो-रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- (vi) ताप विद्युत उत्पादन में सुपर-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल टेक्नॉलाजी, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल टेक्नॉलाजी (ए-यूएससी) को अपनाना।
- (vii) अदक्ष तथा पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
- (viii) संपूर्ण देश में एलईडी आधारित घरों को तथा स्ट्रीट लाइटिंग को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए नेशनल एलईडी कार्यक्रम, जिसमें उन्नत ज्योति बाई एफॉर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शामिल हैं, को 05 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया था।

**(ख) और (ग) :** विद्युत मंत्रालय ने नवंबर, 2017 में 'पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर्स में को-फाइरिंग के जरिए विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग हेतु नीति' जारी की है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने बायोमास पैलेटों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी विद्युत संयंत्रों/यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, विद्युत उपस्कर विनिर्माताओं और अन्य पणधारकों के लिए परामर्शी जारी की है।

**(घ) और (ङ) :** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) विकसित की गई है जो राज्यों हेतु स्थानीय जलवायु स्थितियों के अनुसार संशोधित करने के लिए एक मॉडल दस्तावेज के रूप में काम करता है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के शीघ्र कार्यान्वयन की सुविधा के लिए माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राज्यों द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), 2017 की अधिसूचना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध किया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) राज्य नामजद एजेंसियों (एसडीए) के सहयोग से काम करता है जो अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय करने, विनियमन करने तथा लागू करने के लिए राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित सांविधिक निकाय है।

सभी सरकारी भवनों के साथ-साथ सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी सामुदायिक लाइटिंग परियोजनाओं में एलईडी आधारित लाइटिंग लगाने को अनिवार्य करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1004

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

कोटा तापविद्युत संयंत्र द्वारा प्रदूषण

1004. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कोटा तापविद्युत संयंत्र द्वारा होने वाले जानलेवा प्रदूषण की समीक्षा/अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या संघ सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोटा के लोग इस प्रदूषण के कारण सांस लेने में परेशानी और अन्य गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस जानलेवा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 18-20 जनवरी, 2017 तथा 30 अगस्त, 2017 को कोटा ताप विद्युत संयंत्र, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इकाई है, का निरीक्षण किया। 18-20 जनवरी, 2017 को सीपीसीबी निरीक्षण के दौरान कोटा ताप विद्युत केंद्र की यूनिट 4 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन सीमा के संबंध में अनुपालना नहीं पाई गई। कोटा ताप विद्युत संयंत्र द्वारा अनुपालना स्थिति प्रस्तुत किए जाने के उपरांत संयंत्र का 30 अगस्त, 2017 को पुनः निरीक्षण किया गया था तथा यूनिट 7 में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन सीमा के संबंध में अनुपालना नहीं पाई गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 18 जनवरी, 2018 को ताप विद्युत संयंत्रों को निदेश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) : ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) के संबंध 07 दिसंबर, 2015 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। नए मानकों की अनुपालना करने तथा देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पणधारकों के परामर्श से 1,61,402 मेगावाट (414 यूनिटें) की क्षमता वाले संयंत्रों में फ्लू गैस डी-

सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना के चरणबद्ध कार्यान्वयन तथा 64,525 मेगावाट (222 यूनिटें) की क्षमता वाले संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) के उन्नयन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किया गया था और उसे 13 अक्टूबर, 2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। सीपीसीबी ने विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को निदेश जारी किए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिनांक 11 दिसंबर, 2017 के पत्र के तहत कोटा ताप विद्युत संयंत्र को यूनिट 5 एवं 6 में 31 दिसंबर, 2022 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) की संस्थापना करने ताकि पीएम उत्सर्जन सीमा का अनुपालन किया जा सके, यूनिट 5 एवं 6 में 31 दिसंबर, 2022 तक तथा यूनिट 7 में 31 अक्टूबर, 2022 तक एफजीडी की संस्थापना करने ताकि सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) मानदंडों का पालन किया जा सके और लो नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) बर्नर लगाने, ओवर फायर एयर (ओएफए) प्रणाली उपलब्ध कराने आदि जैसे उपाय तत्काल करने तथा प्रगामी रूप से कमी हासिल करने ताकि वर्ष 2022 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किया जा सके, निदेश दिए हैं।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1013

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है।

लंबित विद्युत परियोजनाएं

1013. श्री लखन लाल साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन के स्रोतों का ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित की गई विद्युत की मात्रा राज्य-वार कितनी है;
- (ख) इस संबंध में लंबित परियोजनाओं का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार नाम और ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) के दौरान परंपरागत स्रोतों (ताप, नाभिकीय तथा जल विद्युत (25 मेगावाट क्षमता से अधिक)) तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन का स्रोतवार और राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् विद्युत के उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिक-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं (इकाइयों) के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

वर्तमान में देश में कुल 11,523.50 मेगावाट की 38 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार सूची अनुबंध-IV में दी गई है।

(घ) : इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

- (i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) स्थलों का लगातार दौरा करके तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित करने और उनका समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) अड़चन वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने और अंतरमंत्रालय तथा अन्य बकाया मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की सुविधा के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा भी नियमित समीक्षा की जाती है।
- (iii) ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा मुद्दों का समाधान करने के लिए XII<sup>वीं</sup> योजना तथा उसके बाद चालू करने के लिए लक्षित जारी ताप विद्युत परियोजनाओं की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) गठित किया गया है।
- (iv) जब भी आवश्यक होता है अग्रसक्रिय अभिशासन तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति (PRAGATI) में भी मुद्दे उठाए जाते हैं।

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं.1013 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) के दौरान परंपरागत स्रोतों से उत्पादन

राज्य का नाम	ईंधन का नाम	31.12.2017 की स्थिति के अनुसार निगरानी क्षमता मेगावाट	वास्तविक उत्पादन एमयू में			
			2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)*	2016-17	2015-16	2014-15
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह कुल	डीजल	40.05	176.99	215.56	182.85	153.76
आंध्र प्रदेश	कोयला	10990	41989.13	58334.04	52023.75	40821.87
	प्राकृतिक गैस	4880.4	2426.62	5921.6	5535.51	2561.07
	जल विद्युत	1150	657.27	992.52	671.33	1862.48
	डीजल	36.8	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश कुल		17057.2	45073.02	65248.16	58230.59	45245.42
अरुणाचल प्रदेश कुल	जल विद्युत	405	1291.17	1249.01	1280.25	1109.48
असम	कोयला	500	911.94	1680.27	117.12	
	प्राकृतिक गैस	579.45	1961.06	2816.24	3214.32	3267.95
	जल विद्युत	325	1506.12	1484.86	1190.68	1031.89
असम कुल		1404.45	4379.12	5981.37	4522.12	4299.84
बीबीएमबी कुल	जल विद्युत	2866.3	8695.82	10570	11818.9	10599.78
भूटान (आईएमपी) कुल	जल विद्युत		4749.01	5617.34	5244.21	5007.74
बिहार कुल	कोयला	4980	20658.85	24514.85	20827.01	18272.27
छत्तीसगढ़	कोयला	21268	81979.52	105532.42	89189.99	79452.39
	जल विद्युत	120	166.11	153.76	323.3	258.18
छत्तीसगढ़ कुल		21388	82145.63	105686.18	89513.29	79710.57
दिल्ली	कोयला	840	1556.97	1704.85	2288.04	3704.75
	प्राकृतिक गैस	2208.4	4160.17	4548.41	3918.06	5018.08
दिल्ली कुल		3048.4	5717.14	6253.26	6206.1	8722.83
डीवीसी	कोयला	7090	25572.64	33310.93	27853.42	25283.81
	जल विद्युत	143.2	218.87	255.54	176.51	267.3
डीवीसी कुल		7233.2	25791.51	33566.47	28029.93	25551.11
गोवा कुल	नापथा	48	0	0	0	12.61
गुजरात	कोयला	13952	57523.03	79277.3	81254.47	84968.56
	प्राकृतिक गैस	7551.41	11041.44	10416.92	12555.98	6970.99
	जल विद्युत	1990	1370.24	3943.88	2951.85	3811.58
	लिंगनाइट	1540	4635.61	6110.51	6126.79	6258.01
	नाभिकीय	440	0	0	2028.17	3529.4
गुजरात कुल		25473.41	74570.32	99748.61	104917.26	105538.54
हरियाणा	कोयला	5540	18574.69	17856.39	21146.5	27177.18
	प्राकृतिक गैस	431.59	598.88	1034.05	1100.64	1571.43
हरियाणा कुल		5971.59	19173.57	18890.44	22247.14	28748.61
हिमाचल प्रदेश कुल	जल विद्युत	6934.02	26357.24	26853.98	27087.49	23319.13
जम्मू एवं कश्मीर	जल विद्युत	3119	13492.68	15377.69	15136.15	14485.02
	हाई स्पीड डीजल	175	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर कुल		3294	13492.68	15377.69	15136.15	14485.02
झारखंड	कोयला	2250	10161.58	14697.3	15882.43	14588.15
	जल विद्युत	130	168.35	30.13	51.24	33.73
झारखंड कुल		2380	10329.93	14727.43	15933.67	14621.88
कर्नाटक	कोयला	8680	21030.38	30460.83	32401.17	30540.83
	जल विद्युत	3657.4	5099.24	6772.35	7479.37	13160.29
	डीजल	153.12	0	0	0	0
	नाभिकीय	880	5614.83	6533.49	7672.71	6462.17
कर्नाटक कुल		13370.52	31744.45	43766.67	47553.25	50163.29
केरल	नापथा	533.58	46.84	15.4	142.75	973.83
	जल विद्युत	1881.5	3837.92	4067.49	6363.75	6852.65
	डीजल	159.96	0.76	47.72	146.84	207.69
केरल कुल		2575.04	3885.52	4130.61	6653.34	8034.17
मध्य प्रदेश	कोयला	17065	79490.18	91083.18	90870.68	68912.72

	जल विद्युत	2395	2215.76	7516.8	4869.82	6299.75
<b>मध्य प्रदेश कुल</b>		19460	81705.94	98599.98	95740.5	75212.47
महाराष्ट्र	कोयला	25226	76566.06	92187.09	96855.01	87035.78
	प्राकृतिक गैस	3460	6835.8	9480.86	5299.91	4715.66
	जल विद्युत	2887	3305.29	5563.56	4700.37	5287.88
	नाभिकीय	1400	4641.12	10860.2	10389.14	10269.89
<b>महाराष्ट्र कुल</b>		32973	91348.27	118091.71	117244.43	107309.21
मणिपुर	जल विद्युत	105	687.24	741.07	536.64	372.44
	डीजल	36	0	0	0	0
<b>मणिपुर कुल</b>		141	687.24	741.07	536.64	372.44
मेघालय कुल	जल विद्युत	372	1264.48	916.7	1035.99	863.15
मिजोरम कुल	जल विद्युत	60	28.71	0	0	0
नागालैंड कुल	जल विद्युत	75	260.9	258.94	163.14	165.15
ओडिशा	कोयला	7680	29294.88	50727.98	52311.46	44412.95
	जल विद्युत	2142.25	5088.58	5113.2	4910.34	6919.49
<b>ओडिशा कुल</b>		9822.25	34383.46	55841.18	57221.8	51332.44
पुडुचेरी कुल	प्राकृतिक गैस	32.5	170.03	246.84	227.59	102.14
पंजाब	कोयला	6540	17888.52	22955.84	19015.05	18921.83
	जल विद्युत	1051	3500.73	3536.34	4327.84	4039.07
<b>पंजाब कुल</b>		7591	21389.25	26492.18	23342.89	22960.9
राजस्थान	कोयला	6920	22591.62	33022.1	32882.92	32759.78
	प्राकृतिक गैस	1023.13	1725.54	2245.74	2834.86	3750.71
	जल विद्युत	411	468.43	965.99	1033.8	863.33
	लिग्नाइट	1580	6190.22	8085.74	8776.53	9089.71
	नाभिकीय	1180	6774.45	7472.6	8419.24	7722.39
<b>राजस्थान कुल</b>		11114.13	37750.26	51792.17	53947.35	54185.92
सिक्किम कुल	जल विद्युत	2169	8063.93	4330.4	3551.92	3345.29
तमिलनाडु	कोयला	9520	32784.56	49220.63	44371.67	35818.52
	प्राकृतिक गैस	897.18	2080.41	2741.38	2663.06	4109.01
	नाफ्था	120	6.12	10.98	8.72	2.85
	जल विद्युत	2203.2	2186.65	2397.12	4474.27	5058.95
	डीजल	411.7	0	12.01	76.23	1045.97
	लिग्नाइट	3240	14558.33	20528.87	19341.12	20155.96
	नाभिकीय	2440	7971.09	9670.69	5471.76	5227.15
<b>तमिलनाडु कुल</b>		18832.08	59587.16	84581.68	76406.83	71418.41
तेलंगाना	कोयला	6682.5	34984.84	41279.34	35352.73	36501.05
	जल विद्युत	2835.6	1978.96	2111.89	1515.47	4400.92
<b>तेलंगाना कुल</b>		9518.1	36963.8	43391.23	36868.2	40901.97
त्रिपुरा	प्राकृतिक गैस	1132.1	4472.83	5873.89	5109.38	3824.44
	जल विद्युत					
<b>त्रिपुरा कुल</b>		1132.1	4472.83	5873.89	5109.38	3824.44
उत्तर प्रदेश	कोयला	21393	91950.17	112815.03	102450.54	103569.23
	प्राकृतिक गैस	1493.14	1728.86	2772.63	4511.31	4194.28
	जल विद्युत	501.6	1151.18	1175.56	935.08	1247.69
	नाभिकीय	440	2685.63	3378.89	3432.6	2890.54
<b>उत्तर प्रदेश कुल</b>		23827.74	97515.84	120142.11	111329.53	111901.74
उत्तराखंड	प्राकृतिक गैस	450	1622.87	969.01		
	जल विद्युत	3756.35	11999.46	13281.53	12765.92	11439.22
<b>उत्तराखंड कुल</b>		4206.35	13622.33	14250.54	12765.92	11439.22
पश्चिम बंगाल	कोयला	9495	37003.55	49475.44	44921.29	47592.21
	जल विद्युत	1278	1764.47	2717.25	2025.33	2149.81
	हाई स्पीड डीजल	80	0	0	0	0
<b>पश्चिम बंगाल कुल</b>		10853	38768.02	52192.69	46946.62	49742.02
<b>सकल योग</b>		270648.43	906214.42	1160140.94	1107822.28	1048672.96
* वास्तविक-सह-आकलन के आधार पर अनंतिम						
टिप्पणी:	1. केवल 25 मेगावाट और उनसे अधिक क्षमता वाले परंपरागत स्रोतों के केंद्रों से सकल उत्पादन (ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय)।					
	2. 01.04.2010 से 25 मेगावाट तक के केंद्रों से उत्पादन की निगरानी नहीं की जा रही है।					

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं.1013 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) के दौरान परंपरागत स्रोतों से उत्पादन

क्र.सं.	राज्य/यूटिलिटी	उत्पादन एमयू में			
		2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)	2016-17	2015-16	2014-15
1	चंडीगढ़	6.13	13.16	3.4	2.23
2	दिल्ली	182.62	144.73	128.97	116.63
3	हरियाणा	404.27	449.54	1343.15	470.69
4	हिमाचल प्रदेश	1757.48	2015.58	1921.77	1685.08
5	जम्मू एवं कश्मीर	277.91	326.12	304.79	313.23
6	पंजाब	1964.89	2149.49	1474.2	1159.29
7	राजस्थान	7571.65	7973.85	6600.24	5596.57
8	उत्तर प्रदेश	2397.33	3638.26	3201.49	3140.7
9	उत्तराखंड	700.36	999.19	703.42	664.38
10	एनटीपीसी दादरी/एफबीडी/ऊंचाहार/सिंगरीली/भादला	350.25	74.9	42.41	22.9
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड	204.17	227.2	193.67	126.93
12	छत्तीसगढ़	844.86	1446.22	1202.42	1066.29
13	एनटीपीसी राजगढ़/रॉजमल/मंदसौर	251.52	82.21	81	62.94
14	गुजरात	9541.73	9497.99	8003.73	7222.27
15	मध्य प्रदेश	4855.52	5268.67	2910.42	1427.51
16	महाराष्ट्र	8815.37	11292.7	10756.58	10283.93
17	दादर व नगर हवेली	3.63	1.31	0.5	0.03
18	दमन व दीव	13.52	14.43	4.25	0.15
19	आंध्र प्रदेश	8206.13	5483.26	3106.61	2711.06
20	तेलंगाना	2950.54	1999.89	1027.9	802.86
21	कर्नाटक	10153.02	9585.68	10061.03	9694.9
22	केरल	651.27	562.72	618.78	629.64
23	एनटीपीसी रामागुंडम/अनंतपुरम	306.56	350.53	16.02	15.62
24	तमिलनाडु	13760.85	15153.87	9331.47	11902.39
25	लक्षद्वीप	1.31	1.59	1.02	46.09
26	पुडुचेरी	1.01	0.34		
27	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15.09	20.03	18.72	0.47
28	बिहार	150.38	292.53	165.11	209.13
29	झारखंड	14.21	38.47	19.77	8.32
30	ओडिशा	413.48	507.71	434.45	329.82
31	सिक्किम	27.15	35.78	41.93	20.88
32	पश्चिम बंगाल	1200.54	1569.77	1608.15	1553.63
33	डीवीसी	8.72	14.09	118.26	146.86
34	एनटीपीसी अंडमान/तालचर	14.43	20	18.91	18.79
35	अरुणाचल प्रदेश	0.62	27.43	18.44	51.94
36	असम	19.4	14.15	90.94	64.52
37	मणिपुर	0.04	0.01	0	0
38	मेघालय	56.33	59.1	65.96	66.94
39	मिजोरम	46.01	49.62	27.62	34.86
40	नागालैंड	79.06	92.73	88.73	84.14
41	त्रिपुरा	32.24	46.47	18.47	29.37
42	नीपको	4.94	6.89	6.15	0.98
	कुल	78256.54	81548.21	65780.85	61784.93

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं.1013 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने का प्रत्याशित कार्यक्रम
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>					
1	असम	बोंगईगाँव टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	यू-3	250	अप्रैल-18
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी/अन्य	यू-1	660	अप्रैल-19
			यू-2	660	मार्च-20
			यू-3	660	नवंबर-20
3	बिहार	नबीनगर टीपीपी/एनटीपीसी तथा रेलवे का संयुक्त उद्यम/भेल	यू-3	250	जून-18
			यू-4	250	अक्टूबर-18
4	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी/एनटीपीसी तथा बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम टीजी-अल्स्टॉम तथा भारत फोर्ज, एसजी-भेल	यू-1	660	मार्च-18
			यू-2	660	जून-18
			यू-3	660	दिसंबर-18
5	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-डूसाँन टीजी-बीजीआर हिताची	यू-1	800	मार्च-18
			यू-2	800	जन.-19
6	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	यू-1	660	सितंबर-19
			यू-2	660	मार्च-20
			यू-3	660	सितंबर-20
7	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-1/एनटीपीसी/एसजी-डूसाँन टीजी-तोशिबा	यू-3	800	फर.-18
8	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-बीजीआर तथा हिताची टीजी-अल्स्टॉम तथा भारत फोर्ज	यू-2	660	दिसंबर-18
9	मध्य प्रदेश	गदरवाड़ा टीपीपी/एनटीपीसी/बीटीजी-भेल	यू-1	800	मार्च-18
			यू-2	800	जन.-19
10	मध्य प्रदेश	खारगोन टीपीपी/एनटीपीसी/ईपीसी-एलएंडटी	यू-1	660	मार्च-19
			यू-2	660	सितंबर-19
11	ओडिशा	दालीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-भेल टीजी-जेएसडब्ल्यू तथा तोशिबा	यू-1	800	मई-18
			यू-2	800	नवंबर-18
12	राजस्थान	बरसिंगसर टीपीपी एक्स./एनएलसी/रिलायंस इंफ्रा	यू-1	250	मई-20
13	राजस्थान	बिथनॉक टीपीपी/एनएलसी/रिलायंस इंफ्रा	यू-1	250	मई-20
14	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-1/एनटीपीसी/एसजी-भेल टीजी-अल्स्टॉम तथा भारत फोर्ज	यू-1	800	जन.-20
			यू-2	800	जुलाई-20
15	तमिलनाडु	नेवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी/भेल	यू-1	500	जुलाई-18
			यू-2	500	अगस्त-18
16	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी तथा यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम/एसजी-बीजीआर टीजी-तोशिबा	यू-1	660	फर.-18
			यू-2	660	जून-18
17	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी तथा यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम/एमएचपीएस बाँयलर प्रा.लि.	यू-1	660	नवंबर-20
			यू-2	660	मई-21
			यू-3	660	सितंबर-21
18	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी/एनटीपीसी/एसजी: एलएंडटी/टीजी: अल्स्टॉम	यू-1	660	फर.-19
			यू-2	660	सितंबर-19
<b>कुल केंद्रीय क्षेत्र</b>				<b>21990</b>	
<b>राज्य क्षेत्र</b>					
1	आंध्र प्रदेश	डॉ.नारला टाटा राव टीपीएस स्टे-V/एपीजेनको/बीटीजी-भेल	यू-1	800	जून-19
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरन संजीवैया टीपीपी स्टे-II/एपीजेनको/बीटीजी-भेल	यू-1	800	मार्च-19
3	आंध्र प्रदेश	रॉयलसीमा टीपीपी स्टे-IV/एपीजेनको/बीटीजी-भेल	यू-6	600	फर.-18
4	असम	नामरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल/भेल	एसटी	36.15	मार्च-18

5	बिहार	बरौनी टीपीएस एक्स./बीएसईबी/ईपीसी-भेल	यू-9	250	मार्च-18
6	गुजरात	वनकबोरी टीपीएस एक्स./जीएसईसीएल एसजी-अल्स्टॉम टीजी-सीमेन्स	यू-8	800	अक्टूबर-18
7	कर्नाटक	केपीसीएल द्वारा येलहांका सीपीपी	जीटी+एसटी	370	मई-18
8	मध्य प्रदेश	श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे-II/एमपीजेनको ईपीसी-एलएंडटी	यू-3	660	मई-18
			यू-4	660	अक्टूबर-18
9	ओडिशा	एलबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल बीटीजी-भेल	यू-3	660	अगस्त-18
			यू-4	660	अक्टूबर-18
10	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्स./आरआरवीयूएनएल/एलएंडटी- एमएचपीएस	यू-6	660	मार्च-18
11	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी/आरआरवीयूएनएल/भेल	यू-7	660	मार्च-18
			यू-8	660	जून-18
12	तेलंगाना	कोठागुडेम टीपीएस स्टे-VII/टीएसजेनको बीटीजी- भेल	यू-1	800	जुलाई-18
13	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी/टीएसजेनको/भेल	यू-1	270	जन.-19
			यू-2	270	फर.-19
			यू-3	270	मार्च-19
			यू-4	270	अप्रैल-19
14	तमिलनाडु	एन्नौर एक्स. एससीटीपीपी (लैनको)/टैनजेडको बीटीजी-लैनको	यू-1	660	सितंबर-18
15	तमिलनाडु	एन्नौर एससीटीपीपी/टैनजेडको/भेल	यू-1	660	सितंबर-18
			यू-2	660	मार्च-19
16	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे-III टैनजेडको/भेल	यू-1	800	जुलाई-19
17	तमिलनाडु	अपर सुपर-क्रिटिकल टीपीपी टैनजेडको/भेल	यू-1	800	उपलब्ध नहीं
			यू-2	800	उपलब्ध नहीं
18	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्स.-II/यूपीआरवीयूएनएल/ तोशिबा जेएसडब्ल्यू	यू-1	660	जून-19
19	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल/डूसॉन	यू-1	660	नवंबर-20
			यू-2	660	मार्च-21
20	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल/डूसॉन	यू-1	660	सितंबर-20
			यू-2	660	दिसंबर-20
<b>कुल राज्य क्षेत्र</b>				<b>17836.15</b>	
<b>निजी क्षेत्र</b>					
1	आंध्र प्रदेश	भावनापाडु टीपीपी फेज-II/इस्ट कोस्ट एनर्जी लि. बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
2	आंध्र प्रदेश	थम्मिनापनाम टीपीपी स्टेज-II/मीनाक्षी एनर्जी प्रा.लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	यू-3	350	मार्च-18
			यू-4	350	मई-18
3	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)/जेआईसीपीएल बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
			यू-3	660	अनिश्चित
			यू-4	660	अनिश्चित
4	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नइयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि./चाइनीज	यू-4	600	जुलाई-18
			यू-5	600	सितंबर-18
			यू-6	600	दिसंबर-18
5	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. एसजी-सेदर वेसेल्स टीजी-हार्बिन चीन नहीं	यू-2	300	फर.-18
			यू-3	300	अनिश्चित
			यू-4	300	अनिश्चित
6	छत्तीसगढ़	लैनको अमरकंटक टीपीपी-II/लैन प्रा.लि. बीटीजी- डीईसी	यू-3	660	अनिश्चित
			यू-4	660	अनिश्चित
7	छत्तीसगढ़	सिंधितराई टीपीपी/एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. बीटीजी-डीईसीएल	यू-1	600	अनिश्चित
			यू-2	600	अनिश्चित

8	छत्तीसगढ़	उचपिंड टीपीपी/आरकेएम पावर जेन.प्रा.लि./ एसजी-चीन वेस्टर्न टीजी-हैबिन चीन	यू-4	360	मार्च-18
9	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी/वंदना विद्युत/बीटीजी-सेदार वेसेल्स	यू-2	135	अनिश्चित
10	छत्तीसगढ़	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि. बीटीजी-भेल	यू-1	600	अनिश्चित
11	झारखंड	मातृश्री उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-1	270	अनिश्चित
			यू-2	270	अनिश्चित
12	झारखंड	मातृश्री उषा टीपीपी फेज-II/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-3	270	अनिश्चित
			यू-4	270	अनिश्चित
13	झारखंड	टोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि. बीटीजी-चीन	यू-1	600	अनिश्चित
			यू-2	600	अनिश्चित
14	झारखंड	टोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.	यू-3	600	अनिश्चित
15	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II/रतन इंडिया पावर प्रा.लि. बीटीजी-भेल	यू-1	270	अनिश्चित
			यू-2	270	अनिश्चित
			यू-3	270	अनिश्चित
			यू-4	270	अनिश्चित
			यू-5	270	अनिश्चित
16	महाराष्ट्र	लैनको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा.लि. ईपीसी-लैनको	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
17	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II/रतन इंडिया नासिक पावर प्रा.लि. बीटीजी-भेल	यू-1	270	अनिश्चित
			यू-2	270	अनिश्चित
			यू-3	270	अनिश्चित
			यू-4	270	अनिश्चित
			यू-5	270	अनिश्चित
18	महाराष्ट्र	बिजौरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा.लि./बीटीजी-चाइनीज	यू-1	300	अनिश्चित
			यू-2	300	अनिश्चित
19	महाराष्ट्र	शिरपुर टीपीपी, शिरपुर पावर प्रा.लि.-भेल	यू-2	150	मार्च-18
20	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि./चाइनीज	यू-2	600	मार्च-18
21	मध्य प्रदेश	गोर्गी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि. बीटीजी-भेल	यू-1	660	अनिश्चित
22	मध्य प्रदेश	निवाड़ी टीपीपी/बीएलए पावर लि./भेल-सीमेन्स	यू-2	45	अनिश्चित
23	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)/इंड बराथ/बीटीजी-सेदार वेसेल्स	यू-2	350	मार्च-18
24	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल/बीटीजी-हार्बिन चाइनीज	यू-1	350	अनिश्चित
			यू-2	350	अनिश्चित
			यू-3	350	अनिश्चित
25	ओडिशा	लैनको बाबंध टीपीपी/एलबीपी लि./बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
26	ओडिशा	मालीब्राहमणी टीपीपी/एमपीसीएल/बीटीजी-भेल	यू-1	525	अनिश्चित
			यू-2	525	अनिश्चित
27	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)/आईबीपीआईएल/बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अनिश्चित
28	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे-IV/एसईपीसी/ईपीसी-एमईआईएल (बीटीजी-भेल)	यू-1	525	मार्च-19
29	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी/हल्दिया एनर्जी लि./बीटीजी-भेल	यू-2	150	फर.-18
			यू-3	150	अप्रैल-18
कुल निजी क्षेत्र				25185	
सकल योग				65011.15	

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.1013 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य वार

(31.01.2018 की स्थिति के अनुसार)					
क्र.सं.	योजना का नाम (निष्पादक एजेंसी)	क्षेत्र	आई.सी. (संख्या x मेगावाट)	निष्पादन के अंतर्गत क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि
<b>आंध्र प्रदेश</b>					
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	12x80	960.00	2020-23 (सितंबर'22)
<b>उप जोड़: आंध्र प्रदेश</b>				<b>960.00</b>	
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>					
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2017-18 (मार्च'18)
3	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00	2017-18 (मार्च'18)
4	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2022-23 *
5	गोंग्री (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00	2021-22 *
<b>उप जोड़ : अरुणाचल प्रदेश</b>				<b>2854.00</b>	
<b>हिमाचल प्रदेश</b>					
6	पारबती चरण II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2021-22 (दिसंबर'21)
7	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2017-18 (मार्च'18)
8	सावरा कुड्डु (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2019-20 (मई'19)
9	शोंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2021-22 (जन.'22)
10	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2019-20 (अगस्त'19)
11	सारांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2019-20 *
12	तंग्गू रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2019-20 *
13	तिडोंग-I (एनएसएल तिडोंग)	निजी	100.00	100.00	2018-19 *
<b>उप जोड़ : हिमाचल प्रदेश</b>				<b>1885.00</b>	
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>					
14	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	2017-18 (फर.'18)
15	पर्नाई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50	2019-20 (मार्च'20)
16	लोअर कल्नाई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00	2020-21 (मार्च'21)
17	रात्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2022-23 *
<b>उप जोड़ : जम्मू एवं कश्मीर</b>				<b>1265.50</b>	
<b>केरल</b>					
18	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2020-21 (दिसंबर'20)
19	थोट्टियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2020-21 *
<b>उप जोड़: केरल</b>				<b>100.00</b>	
<b>मध्य प्रदेश</b>					
20	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2019-20 *
<b>उप जोड़: मध्य प्रदेश</b>				<b>400.00</b>	
<b>महाराष्ट्र</b>					
21	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00	2019-20 *
<b>उप जोड़: महाराष्ट्र</b>				<b>80.00</b>	
<b>पंजाब</b>					
22	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2020-21 *
<b>उप जोड़: पंजाब</b>				<b>206.00</b>	
<b>सिक्किम</b>					
23	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2020-21 *
24	रंगित -IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2020-21 *
25	रंगित-II (सिक्किम जल विद्युत)	निजी	2x33	66.00	2019-20 (मार्च'20)
26	रोंगिनचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2019-20 (मार्च'20)
27	तीस्ता चरण VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00	2021-22 *
28	पनान (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2022-23 *
<b>उप जोड़: सिक्किम</b>				<b>1133.00</b>	
<b>तेलंगाना</b>					
29	पुलिचिताला (टीएसजेनको) (3 यूनिटें चालू)	राज्य	4x30	30.00	2018-19

					(अगस्त'18)
	<b>उप जोड़: तेलगाना</b>			<b>30.00</b>	
	<b>उत्तराखंड</b>				
30	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2022-23 *
31	तपोवन विष्णुगाड़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2019-20 (मार्च'20)
32	टिहरी पीएसएस (टीएसडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2020-21 (दिसंबर'20)
33	विष्णुगाड़ पीपलकोटी (टीएसडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2020-21 (नवंबर'20)
34	नेतीवार मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	2x30	60.00	2021-22 (दिसंबर-21)
35	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00	2019-20 (मार्च'20)
36	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2019-20 *
37	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00	2018-19 (मार्च'19)
	<b>उप जोड़: उत्तराखंड</b>			<b>2490.00</b>	
	<b>पश्चिम बंगाल</b>				
38	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2020-21 (मार्च'21)
	<b>उप जोड़: पश्चिम बंगाल</b>			<b>120.00</b>	
	<b>कुल:</b>			<b>11523.50</b>	
*	वर्तमान में परियोजना रूकी हुई है। चालू करना कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन है।				

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1016

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु फसल के अवशेष का उपयोग

1016. श्री जी. हरि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में फसल जलाने की प्रथा को रोकने के लिए एनटीपीसी से उसके सभी ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन हेतु फसल-अवशेष की भूसी को कोयला के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. ने किसानों से फसल अवशेष (पराली) खरीदने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार अब तक कुल कितनी मात्रा में इसकी खरीद की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5-10% बायोमास पैलेटों का प्रयोग करने की एक नीति जारी की है। इसके अतिरिक्त, बायोमास पैलेटों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने दिनांक 24 नवंबर, 2017 के पत्र के तहत सभी केंद्रीय/राज्य यूटिलिटीयों, राज्य सरकारों, विद्युत उपस्कर विनिर्माताओं/आईपीपी/उत्पादन कंपनियों को लिखा है कि भारत में स्थित सरकारी अथवा निजी विद्युत उत्पादन यूटिलिटीयों की बॉल और ट्यूब मिल वालों को छोड़कर सभी फ्ल्यूडाइज्ड बेड एन पल्वराइज्ड कोल इकाइयां (कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र) तकनीकी व्यवहर्ताओं अर्थात् सुरक्षा दृष्टिकोणों आदि का आकलन करने के पश्चात् कोयले के साथ मुख्यतः कृषि अवशेषों से बने बायोमास पैलेटों के 5-10% ब्लेंड का प्रयोग करने का प्रयास करेंगी।

(ग) और (घ) : एनटीपीसी ने 2 वर्षों की अवधि में आपूर्ति किए जाने हेतु एनटीपीसी दादरी परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए 500 टीपीडी (टन प्रतिदिन) कृषि अवशेष आधारित बायोमास पैलेट्स तथा 500 टीपीडी (टन प्रतिदिन) कृषि अवशेष आधारित टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स/ब्रिकेट्स के प्रापण के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1041

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना के उद्देश्य

1041. श्री तारिक अनवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संपूर्ण देश में आगामी वित्तीय वर्ष तक प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सौभाग्य योजना के लाभ उन गरीब लोगों को प्रदान किए जाने की संभावना है जिनके पास एक कच्चा घर भी नहीं है और जो झोपड़ियों में रह रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली का कनेक्शन मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" शुरू की है। घरों के विद्युतीकरण का आशय झोपड़ियों सहित आवास यूनिटों के विद्युतीकरण से है।

इस स्कीम का उद्देश्य मार्च, 2019 तक सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करना है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1049

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत का मूल्य

1049. डॉ. जे. जयवर्द्धन:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

श्री धनंजय महाडीक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाजारगत विद्युत मूल्य और भारतीय विद्युत विनिमय मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बढ़ा हुआ मूल्य उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हो?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत में दो पावर एक्सचेंज अर्थात् इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) तथा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) है जहाँ विद्युत की ट्रेडिंग की जा रही हैं। विद्युत की कीमतों का पता प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉक में इन पावर एक्सचेंजों की डे अहेड मार्केट (डीएएम) के आधार पर लगाया जाता है। इन कीमतों में प्रत्येक समय ब्लॉक में उतार-चढ़ाव होता है जिससे किसी निर्धारित समय पर बाजार में विद्युत की मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हुए किसी दिन में उतार-चढ़ाव आता है।

पिछले 3 वर्षों के लिए इन पावर एक्सचेंजों के डीएएम की भारत औसत कीमतें नीचे दी गई हैं:

वर्ष	आईईएक्स में कीमत (रुपये/किलोवाट)	पीआईएक्सएल में कीमत (रुपये/किलोवाट)
2014-15	3.49	3.09
2015-16	2.72	2.66
2016-17	2.48	2.56

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पावर एक्सचेंजों के जरिए ट्रेड की गई विद्युत की औसत बाजार स्वीकृति कीमतें पिछले 3 वर्षों के दौरान काफी घट गई हैं। तथापि, कुछ ऐसे दृष्टांत भी हैं जब सितंबर, 2017 से नवंबर, 2017 माह के दौरान कुछ दिनों के दौरान 15 मिनट के कुछ समय ब्लॉकों में स्पॉट मार्केट विद्युत कीमतें रु.9/- से रु.11/- प्रति किलोवाट घंटा के स्तर पर पहुँच गई। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इन महीनों के दौरान इंडियन पावर एक्सचेंज में मंथली एवरेज मार्केट क्लियरिंग प्राइस (एमसीपी) रु.4.09/- प्रति किलोवाट घंटा (सितंबर, 2017), रु.4.08/- प्रति किलोवाट घंटा (अक्तूबर, 2017) तथा रु.3.55/- प्रति किलोवाट घंटा (नवंबर, 2017) थी।

**(ग) और (घ) :** पावर एक्सचेंजों के जरिए ट्रेड की गई विद्युत का हिस्सा देश में खपत की जा रही कुल विद्युत का केवल लगभग 3% है। अतः पावर एक्सचेंज ने विद्युत कीमतों में किसी दिन में कुल 96 समय ब्लॉकों में से प्रत्येक 15 मिनट के 2 से 3 ब्लॉक के दौरान किसी अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का प्रभाव उपभोक्ताओं के लिए मामूली होगा। तथापि, उपयुक्त विनियमों के जरिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) भारत में पावर एक्सचेंजों के उचित, निष्पक्ष, दक्ष तथा सुदृढ़ कार्यक्रम को सुनिश्चित करता है।

\*\*\* \*\*

लोक सभा में दिनांक 08.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.1049 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉकों के दौरान पता लगाई गई अधिकतम कीमत

डिलीवरी की तिथि	ब्लॉक संख्या	एमसीपी (रुपये प्रति किलोवाट घंटा)
<b>सितंबर, 2017</b>		
9-सितंबर-2017	78	9.00
9-सितंबर-2017	79	9.00
9-सितंबर-2017	80	9.00
11-सितंबर-2017	77	9.20
11-सितंबर-2017	78	9.20
11-सितंबर-2017	79	9.20
11-सितंबर-2017	80	9.20
12-सितंबर-2017	77	9.30
12-सितंबर-2017	78	9.30
12-सितंबर-2017	79	9.61
12-सितंबर-2017	80	9.30
13-सितंबर-2017	79	9.91
<b>अक्टूबर, 2017</b>		
6-अक्टूबर-2017	77	9.23
6-अक्टूबर-2017	78	9.00
16-अक्टूबर-2017	73	10.00
16-अक्टूबर-2017	74	10.00
16-अक्टूबर-2017	75	10.00
16-अक्टूबर-2017	76	10.00
16-अक्टूबर-2017	77	9.08
17-अक्टूबर-2017	71	9.44
17-अक्टूबर-2017	72	10.00
17-अक्टूबर-2017	73	10.00
17-अक्टूबर-2017	74	10.00
17-अक्टूबर-2017	75	10.80
17-अक्टूबर-2017	76	10.80
17-अक्टूबर-2017	77	10.00
17-अक्टूबर-2017	78	10.00
17-अक्टूबर-2017	79	10.00
17-अक्टूबर-2017	80	10.00
17-अक्टूबर-2017	81	10.00
17-अक्टूबर-2017	82	10.00
17-अक्टूबर-2017	83	10.00
17-अक्टूबर-2017	85	10.00
17-अक्टूबर-2017	86	10.00
17-अक्टूबर-2017	87	10.00
17-अक्टूबर-2017	89	9.50
18-अक्टूबर-2017	77	11.55
18-अक्टूबर-2017	78	11.10
27-अक्टूबर-2017	74	11.12
27-अक्टूबर-2017	75	11.14
27-अक्टूबर-2017	76	11.12
27-अक्टूबर-2017	77	10.57
27-अक्टूबर-2017	78	10.00
27-अक्टूबर-2017	79	9.00
<b>नवंबर, 2017</b>		
9-नवंबर-2017	74	9.75
10-नवंबर-2017	74	9.00077
10-नवंबर-2017	75	9.00037
11-नवंबर-2017	74	9.0001
13-नवंबर-2017	73	9.00002
13-नवंबर-2017	74	9.00034

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1059

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को जल की कमी

1059. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री कमल नाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में जो ताप विद्युत संयंत्र ताजा जल शीतलक पर निर्भर हो वे जल की कमी के कारण गंभीर कठौती का सामना कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) की अद्यतन रिपोर्ट में बताया गया है कि अनेक ताप विद्युत कंपनियां जल की कमी के कारण बंद हो जाती हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस समस्या का प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : ताप विद्युत केंद्र जल की उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण कई बार कूलिंग फेस आउटेज के लिए ताजे जल पर निर्भर करते हैं।

वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीच्यूट ने जनवरी, 2018 में प्रकाशित अपने एक वर्किंग पेपर में उल्लेख किया है कि भारत का ताप विद्युत क्षेत्र जल पर निर्भर है और जल की कमी का सामना कर रहा है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2015-16 से 2017-18 तक जल की कमी के कारण कुल आउटेज देश में ताप विद्युत केंद्रों में हुई कुल आउटेज हानियों के 0.2% से 2% के बीच है। देश में ताप विद्युत केंद्रों में हुई कुल हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

**2015-16 से 2017-18 तक जल की कमी के कारण उत्पादन की हानि**

वर्ष	अवधि (घंटे)	जल की कमी के कारण हानि (एमयू)	कुल हानि (एमयू)	कुल हानि के % के रूप में जल की कमी के कारण हानि
2015-16	2162.95	995.02	378814.97	0.26
2016-17	28595.77	9565.24	472544.53	2.02
2017-18	8247.25	2529.24	409930.17	0.62

(ड) : ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत घटाने के लिए अपनाए जा रहे उपचारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:

- I. एश वाटर रीसर्कुलेशन सिस्टम - एश पॉड से जल एकत्र किया जाता है और सिस्टम में पुनः प्रयोग किया जाता है।
- II. ड्राई फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम एंड हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोज सिस्टम (एचसीएसडी) - ये एश हैंडलिंग तकनीकें एश हैंडलिंग जल आवश्यकता को घटाती हैं जिससे जल की खपत कम होती है।
- III. जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम - संयंत्र में उत्पादित सारे अपशिष्ट जल को शोधित किया जाता है और जल खपत सिस्टम में पुनः चक्रण से जल की खपत को कम करता है।
- IV. ऑपरेटिंग कूलिंग टावर्स एट हाइयर साइकल ऑफ कंसंट्रेशन (सीओसी) - यह संयंत्र में उत्पादित अपशिष्ट जल को कम करता है। उत्पादित यह अपशिष्ट जल लो ग्रेड एप्लीकेशन जैसे एश हैंडलिंग, कोल डस्ट सप्रेसन तथा बागवानी आदि के लिए प्रयोग किया जाता है।
- V. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने मौजूदा तथा भावी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जल खपत की सीमा से संबंधित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015, दिनांक 07 दिसंबर, 2015 को अधिसूचित किए हैं:
  - (i) सभी संयंत्र वंस-थ्रू-कूलिंग (ओटीसी) कूलिंग टॉवर (सीटी) और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर 3.5 मीटर<sup>3</sup>/मेगावाट प्रति घंटा के अधिकतम तक विशिष्ट जल खपत हासिल करेंगे।
  - (ii) कूलिंग टॉवर (सीटी) आधारित सभी मौजूदा संयंत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर 3.5 मीटर<sup>3</sup>/मेगावाट प्रति घंटा के अधिकतम तक की विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी करेंगे।
  - (iii) 01 जनवरी, 2017 के पश्चात् स्थापित किए जाने वाले नए संयंत्र 2.5 मीटर<sup>3</sup>/मेगावाट प्रति घंटा के अधिकतम तक विशिष्ट जल खपत को पूरा करेंगे तथा जीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हासिल करेंगे।
- VI. प्रशुल्क नीति, 2016, 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा नगर निगमों/स्थानीय निकायों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के शोधित सीवेज जल का प्रयोग करने को अधिदेशित करती है।

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1084

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

पावर ग्रिड परियोजनाएं

1084. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर प्रदेश में पावर ग्रिड परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जालौन जिले के उरई-इटावा में निर्मित की जा रही पावर ग्रिड परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) उपरोक्त पावर ग्रिड परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (घ) क्या इन परियोजनाओं में देरी हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : पावरग्रिड द्वारा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

- (i) पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) और उत्तरी क्षेत्र (एनआर) (भाग-ख) में अंतरक्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण योजना।  
इस परियोजना के भाग के एक रूप में संबद्ध पारेषण लाइनों सहित उरई (एट गाँव के निकट) में 765/400 केवी उपकेंद्र निर्माणाधीन है।
- (ii) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना (एनआरएसएसएस)-XXX.
- (iii) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना (एनआरएसएसएस)-XXXIV.
- (iv) उत्तरी क्षेत्र में नालागढ़ और लखनऊ में स्टैटकॉम का प्रावधान।
- (v) उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XXXVIII.
- (vi) रायबरेली और सितारगंज 220/132 केवी उपकेंद्र में अंतरण क्षमता का संवर्धन।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित लघु परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं:

- (vii) टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) से संबद्ध पारेषण प्रणाली।

- (viii) उत्तरी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश में फतेहपुर तथा राजस्थान में सीकर) में विभिन्न क्षेत्रीय सुदृढीकरण योजनाओं से संबद्ध लाइन बेज।  
(ix) उत्तरी क्षेत्र में सीरिज रिपेक्टरों का प्रावधान।

तीन परियोजनाएं विलंबित हैं। विलंब मार्गाधिकार तथा वन स्वीकृति के मामलों के कारण हुआ था। संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकार की सहायता से इन मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1099

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन

1099. श्री प्रतापराव जाधव:

श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा झारखंड और महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड और महाराष्ट्र में विकास के कितने कार्य किए गए हो;
- (ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कार्य में देरी हो रही है; और
- (घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : महाराष्ट्र और झारखंड के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत आरई घटक सहित परियोजनाओं के लिए क्रमशः 2872.22 करोड़ रुपये तथा 8521.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए परियोजनाओं के लक्ष्यों को पूरा होने के आधार पर तथा शर्तों को पूरा करने पर, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संवितरित निधियां इस प्रकार हैं:

रुपये करोड़ में

राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
झारखंड	9.42	-	326.78
महाराष्ट्र	-	43.27	256.62

(ख) : राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत गाँवों के विद्युतीकरण की उपलब्धि (यूईवी), विद्युतीकृत गाँवों के गहन विद्युतीकरण (आईईवी) तथा

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत के सर्विस कनेक्शन जारी किए जाने संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैं:

राज्य का नाम	2014-15			2015-16			2016-17		
	यूईवी	आईईवी	बीपीएल	यूईवी	आईईवी	बीपीएल	यूईवी	आईईवी	बीपीएल
झारखंड	161	272	12022	750	14	6314	1104	25	2687
महाराष्ट्र	-	341	6702	-	8	59	-	-	-

यूईवी - गैर-विद्युतीकृत गाँव, आईईवी - गहन विद्युतीकृत गाँव तथा बीपीएल - गरीबी रेखा से नीचे

(ग) और (घ) : सरकार ने मई, 2018 से पहले शेष 18,452 गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था। जबकि इस सूची में महाराष्ट्र का कोई भी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव शेष नहीं था, झारखंड में सभी 2,467 आबादी वाले गाँव पहले ही विद्युतीकृत हो गए हैं।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1110

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों हेतु नये उत्सर्जन मानदंड

1110. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उन तापविद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नये उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;
- (ख) उन तापविद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने नई प्रौद्योगिकी संस्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है जिसमें नये निर्धारित अधिक सख्त उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन किया जायेगा; और
- (ग) नई प्रौद्योगिकी के समावेश के पश्चात् तापविद्युत संयंत्रों की प्रगति की जांच करने हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 07 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए नए पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा संयंत्रों में नए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) मानकों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी) की रेट्रोफिटिंग/प्रतिस्थापन को पूरा करना अपेक्षित है। फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली की संस्थापना सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) उत्सर्जन को सीमित करने तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित हैं, विद्युत संयंत्रों द्वारा एडवांस्ड ओवर फायर एयर (ओएफए) प्रणाली तथा लो नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>) बर्नर (एलएनबी) संस्थापित किए जा सकते हैं।

देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति को बाधित किए बिना नए मानकों की अनुपालना करने के लिए पणधारकों के परामर्श से 1,61,402 मेगावाट (414 यूनिटें) की क्षमता वाले संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना तथा 64,525 मेगावाट (222 यूनिटें) की क्षमता वाले संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) के उन्नयन हेतु चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना वर्ष 2018 से 2022 तक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार की गई थी और इस योजना को 13 अक्टूबर, 2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया

था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को निदेश जारी किए हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने संशोधित मानकों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा/निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की संस्थापना की प्रगति की निगरानी शुरू कर दी है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1111

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाएं

1111. श्री इन्नोसेन्टः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश में कोई नयी मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाएं संस्थापित किये जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऐसी चल रही परियोजनाओं और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कोई चालू परियोजना विचाराधीन है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सरकार ने 19 जुलाई, 2012 से पहले जारी किए गए मेगा/अनंतिम मेगा प्रमाण पत्रों को छोड़कर देश में नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मेगा विद्युत नीति वापस ले ली है।

(ख) से (घ) : मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा दी गई जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी)/पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	विकासकर्ता	वर्तमान स्थिति
1	पार्वती-III	520	एनएचपीसी लिमिटेड	प्रचालनरत
2	तीस्ता-V	510	एनएचपीसी लिमिटेड	प्रचालनरत
3	पार्वती-II	800	एनएचपीसी लिमिटेड	निर्माणाधीन
4	कोल डैम	800	एनटीपीसी लिमिटेड	प्रचालनरत
5	तपोवन विष्णुगाड	520	एनटीपीसी लिमिटेड	निर्माणाधीन
6	टिहरी पीएसपी	1000	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	निर्माणाधीन
7	पुरुलिया पीएसपी	900	पश्चिम बंगाल सरकार	प्रचालनरत
8	तीस्ता-VI	500	मैसर्स लैन्को	निर्माणाधीन
9	तीस्ता-III	1200	मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	प्रचालनरत

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1112

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

जीर्णशीर्ण विद्युत तारों को बदलना

1112. श्री भरत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का वर्षों पूर्व देश के विभिन्न भागों में विद्युतीकरण के दौरान संस्थापित की गई, जीर्णशीर्ण विद्युत तारों को बदलने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में समूचे बलिया जिलों में उन जीर्णशीर्ण विद्युत तारों को बदलने का विचार है जिन्हें विद्युतीकरण के दौरान वर्षों पूर्व संस्थापित किया गया था;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रहणीय और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। इन योजनाओं के अंतर्गत 72985 किलोमीटर पावर कैरिंग वायर की रिक्डक्टरिंग स्वीकृत की गई है।

(ग) से (ङ) : एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) में समाहित पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत बलिया शहर के लिए 19.8 किलोमीटर एचटी लाइनों तथा 225.46 किलोमीटर एलटी लाइनों की रिक्डक्टरिंग स्वीकृत की गई थी और परियोजना अक्टूबर, 2017 में पूरी कर ली गई है।

\*\*\* \*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1147

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति

1147. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार महाराष्ट्र, विशेषकर राज्य में नासिक क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की कमी से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा राज्यों के सभी क्षेत्रों को चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युत की कोई कमी नहीं है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा नासिक क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति का दायित्व संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी का है। तथापि, भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल शुरू की है। इस पहल के उद्देश्य वर्तमान उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा ऐसे सभी उपभोक्ताओं, जिन्हें विद्युत के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, के लिए 2019 तक चरणबद्ध तरीके से विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराना है।

केंद्र सरकार विभिन्न जारी केंद्रीय सरकार योजनाओं अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आदि के जरिए सभी उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी सहायता कर रही है। इन योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण, पारेषण और वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं संवर्धन और डिस्कॉमों का निष्पादन सुधार आदि शामिल है।

\*\*\* \*\*